

प्रेषक,

आयुक्त,  
ग्राम्य विकास,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,  
लखीमपुर खीरी।

पत्रांक:-680/सम्प्रेक्षा/मु0म0अ0यो0-ग्रा0/2019-20,

लखनऊ:दिनांक: 16 अक्टूबर, 2019

विषय-मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय से अनुदान संख्या-13 में वित्तीय वर्ष 2018-19 की स्वीकृत आवासों के सापेक्ष अवशेष किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-07/2019/227/38-4-19-24 (बजट)/2017, दिनांक 23-05-2019 एवं शासनादेश संख्या-10/2019/245/38-4-19-24 (बजट)/2017, दिनांक 30-05-2019 (छायाप्रतियों संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-13 के लाभार्थियों को स्वीकृत आवास के निर्माण की अवशेष द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि से रू0 1220.44 लाख एवं वर्ष 2019-20 के लिये रू0 5449.16 लाख कुल रू0 6669.60 लाख की धनराशि आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निर्वर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त धनराशि में से जनपदों के लक्ष्यों एवं माँग के अनुसार रू0 6600.98 लाख जनपदों के आवास के निर्माण हेतु अवमुक्त की जा चुकी है तथा मुख्यालय पर शेष बची हुई धनराशि रू0 68.62 लाख में से मुख्य विकास अधिकारियों/परियोजना निदेशकों की माँग के अनुसार 3 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त रू0 2.10 लाख (रूपये दो लाख दस हजार मात्र) ग्रीड रिपोर्ट एवं निम्न शर्तों के अनुसार आवंटित की जा रही है।

2. धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय शासनादेश संख्या-21/2018/937/38-4-18-123 (विविध)/2017, दिनांक 06-07-2018 तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-06/2018/216/38-4-18-123(विविध)/2017, दिनांक 02-02-2018 एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. धनराशि का अन्तरण जनपद कोषागार से सीधे पात्र लाभार्थियों के खाते में किया जायेगा। धनराशि आहरित कर जनपद स्तर पर खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।
4. मुख्य विकास अधिकारियों/परियोजना निदेशकों द्वारा प्लिंथ स्तर तक आवास पूर्ण कर द्वितीय किश्त की माँग की गई है।
5. धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय संदर्भित शासनादेश संख्या-07/2019/227/38-4-19-24 (बजट)/2017, दिनांक 23-05-2019 में दिये गये निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. लाभार्थी को अनुदान जारी करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्नगत कार्य हेतु लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो।
7. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं मदों में, योजना हेतु निर्धारित गार्डिलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही किया जायेगा।
8. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-06- मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

..2/-

9. आवंटित धनराशि का आहरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में करते हुए आहरण की सूचना बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित आहरण माह के अगले माह की 05 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध करायी जाएगी।
10. केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ 71 पर बजट आवंटन अंकित कर दिया गया है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,



(के० रविन्द्र नायक)

आयुक्त,

ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

पत्रांक:-680/सम्प्रेक्षा/मु०मं०अ०यो०-ग्रा०/2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 3- विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-4, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-07/2019/227/38-4-19-24 (बजट)/2017, दिनांक 23-05-2019 के क्रम में।
- 4- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
- 5- संयुक्त विकास आयुक्त, लखनऊ मण्डल लखनऊ।
- 6- जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखीमपुर खीरी।
- 7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखीमपुर खीरी।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-1।
- 9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4।

(कमलेश कुमार)

अपर आयुक्त (वित्त),  
ग्राम्य विकास, उ०प्र०।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2019-2020

आवंटन दिनांक-16/10/2019

प्रेषण संख्या:- 001-680.Sampreksha.CMAYG.2019.20  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-680.Sampreksha.CMAYG.2019.20  
अनुदान संख्या:- 13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)(वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
03 - ग्रामीण आवास  
800 - अन्य व्यय  
06 - मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	लखीमपुर खीरी-2253-जिलाधिकारी द्वारा नामित अधि०, --01--	वर्तमान प्रगामी	210000 5240000	210000 5240000
	योग	वर्तमान प्रगामी	210000 5240000	210000 5240000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया दो लाख दस हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया बावन लाख चालीस हजार

(कमलेश कुमार)

अपर आयुक्त- वित्त

क्र.सं.	राज्य का नाम	After Surrender and addition after approval from CRD sir				Final Target	2nd install demand in numbers and amount from 13/9/19 till 3.10.19							Amount against total houses for 2nd install in Rs Lakh	balance as on 3 Oct'19
		After surrender Gen	After surrender SC	After surrender ST	After surrender Total		Houses in number General annudan 13	Amount for General in Rs Lakh	SC annudan 83	Amount for SC in Rs Lakh	ST annudan 81(fund not released)	Amount for ST in Rs Lakh	Total Hoses for 2nd install		
	State Total	2076	287	0	2363	2363	3	2.10	2	1.40	0	0.00	5	3.50	12
1	GORAKHPUR	1544	267	0	1811	1811		0.00	2	1.40		0.00	2	1.40	12
	KHERI	532	20	0	552	552	3	2.10		0.00		0.00	3	2.10	0
2	Total	2076	287	0	2363	2363	3	2.10	2	1.40		0.00	5	3.50	12

Handwritten signature and date: 3/10/19

Handwritten signature and date: 3/10/19